रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 1992/पौष 20, 1913
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 1992/PAUSA 20, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1991

का. आ. 27(अ):—केन्द्रीय सरकार, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शुद्धि - का. आ. 69(ई) तारीख 11 जनवरी, 1989 द्वारा यथासंशोधित भारत के असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 3 अगस्त, 1987 में प्रकाशित

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. 757 (ई) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, उक्त अधिनियम के भाग 3 के उपबंधों को बालकों के काम की दशाओं को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए समस्त भारत में ऐसे सभी स्थापनों को लागू करती है जहां निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संचालित किया जाता है, अर्थात् :—

1. जरी बनाना और कशीदाकारी ।
2. बहुमूल्य रत्नों की पालिश करना
3. स्लेट विनिर्माण ।

[फा. स. एस-27025/46/91-सी एल]
शशी जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1991

S.O. 27(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and in supersession of the notification No. S.O. 575(E) of the Government of India in the Ministry of Labour, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 3rd August, 1987, as corrected by corrigendum No. S.O. 69(E), dated the 11th January, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby applies the provisions of Part III of the said Act to all those establishments throughout the country, for purposes of regulation of conditions of work of children, where the following processes are carried on, namely :—

1. Zari Making and Embroidery
2. Precious Stone Polishing
3. Slate Manufacturing

[File No. S-27025|46]
SHASHI JAIN,

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New/92
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110